मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2021-23 /R.N.I. No. 2022007062

क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गा भाभी का स्मृति दिवस 2
एफएमडीए : नया नाम रखने से ही नहीं होने लगते सही काम 4
मोदी सरकार : अडानी के खिलाफ जो बोलेगा उसकी खैर नहीं 5
अग्निवीर को शहीद का दर्जा न मिलने पर सियासत और सड़क दोनों गरम 6
एनएमसी की कार्रवाई से बचने को गौतम गोला ने रचा प्रपंच 8

वर्ष 37 | अंक -49 | फरीदाबाद 22-28 अक्टूबर 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

खाऊ कमाऊ अधिकारियों ने लुटवा दी गवर्नमेंट प्रेस की बेशकीमती जमीन

केवल सीलिंग की औपचारिकता पूरी की गई, दूसरे दिन से ही चालू हो गया पुराना काम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। सत्ताधारी नेताओं के आगे नतमस्तक होने वाले नगर निगम, पुलिस, डीटीपी और जिला प्रशासन के अधिकारी उनके इशारे पर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं। ये अधिकारी भी मोटी बख्शीश वसूल कर नेताओं के लगुए भगुओं को सरकारी जमीन सौंपने का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला मुजेसर थाना क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट प्रेस की जमीन पर अवैध कब्जेदारी का है। यहां सरकारी जमीन पर बड़े इलाके मे अल्फा कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी अवैध रूप से खड़ी की जा रही है। कई बार शिकायत करने के बाद सोमवार को सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई तो की लेकिन अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ढहाने के बजाय सीलिंग की खानापूर्ति कर लौट गए।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ब्रह्मदत्त के अनुसार मुजेसर में पुराना पावर हाउस से लेकर श्मशान घाट तक गंदे नाले के समानांतर गवर्नमेंट प्रेस की 34 एकड़ जमीन है। इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की नजर काफी समय से है और इस पर लगातार कब्जा हो रहा है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी इस जमीन पर अपने समर्थकों के जरिए खूब कब्जा करवाया। मूलचंद शर्मा ने ही सिंचाई विभाग और प्रशासन पर दबाव डाल कर नाले के समानांतर सड़क का निर्माण कराया ताकि कब्जा करने वालों के लिए रास्ता बन सके।

वर्तमान में इस जमीन पर अल्फा कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इस अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले वाले स्थानीय निवासी अजीत सिंह जाखड़ के अनुसार यहां बिल्डिंग पूरन कपूर और

शेष पेज दो पर

सत्ता का घमंड : प्रशासन की सील तोड़कर किया जा रहा निर्माण

हड़प गए टीबी मरीजों की पोषण राशि भी

- निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को प्रतिमाह पांच सौ रुपये नहीं दिए गए
- जांच के नाम पर किया जा रहा दोषियों को बचाने का खेल, अधिकारियों ने मौन साधा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिला टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधिकारी टीबी मरीजों को पोषण के लिए दी जाने वाली पांच सौ रुपये की राशि भी हड़प गए। जो धनराशि सीधे मरीज के बैंक खाते में ट्रांसफर की जानी थी वह एक विशेष व्यक्ति के खाते में भेजी जा रही थी। सीएम फ्लाइंग जांच में मामलाा पकड़ा गया लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के बजाय कार्रवाई का जिम्मा सीएमओ को सौंप दिया। सीएमओ ने जांच टीम तो गठित कर दी लेकिन दोषी से रकम वापस दिलवा कर मामले को रफा दफा करने का खेल खेला जा रहा है।

क्षय रोगियों को दवा के साथ पौष्टिक भोजन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक मरीज को दवा के साथ ही पौष्टिक भोजन के लिए प्रतिमाह पांच सौ रुपये दिए जाते हैं। यह धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डीबीटी) स्कीम के तहत मरीज के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। मरीज के आधार से लिंक बैंक खाते में ही यह रकम

शेष पेज चार पर

पायरीडॉक्सिन की 12 हजार गोलियां की जांच भी ठंडे बस्ते में

सीएम फ्लाइंग टीम की जांच में टीबी मरीजों को दी जाने वाली पायरीडॉक्सिन (विटामिन बी6) की 12 हजार गोलियां भी मेडिसिन स्टोर के स्टॉक से नदारद थीं। दरअसल टीबी मरीजों को दी जाने वाली आयासोनियाज़िड दवा शरीर में विटामिन बी6 के मेटाबॉलिज्म (चयापचय) में व्यवधान पैदा करती है। इसका कारण शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है, कमी को पूरा करने के लिए मरीज को विटामिन बी6 यानी पायरीडॉक्सिन की दस मिलीग्राम की गोली दी जाती है। स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक के मिलान मे 12 हजार गोलियों का घपला पाया गया। सीएमओ इसकी भी जांच करा रहे हैं, विभाग के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इस मामले में भी लीपापोती की जा रही है। अंत में यह झूठ बताया जाएगा कि मरीजों को दवा बांटी तो गई थी लेकिन रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई इसलिए यह गड़बड़ी आई। सवाल यह है कि यदि मरीजों को बांटी गई अन्य दवाएं रजिस्टर पर चढ़ाई गईं तो फिर सिर्फ विटामिन बी6 की इंट्री क्यों नहीं की गई। स्पष्ट है कि टीबी मरीजों को दवा की कमी बता कर लौटाया जाता रहा और विटामिन बी6 की बंदरबांट कर लूट कमाई की गई।

केस दर्ज कराने में संयुक्त आयुक्त शिखा ने कर दिया खेल

सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे पूरन कपूर ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता लौट जाने के साथ ही सील तोड़ दी। इसकी जानकारी होने पर संयुक्त आयुक्त नगर निगम बल्लभगढ़ शिखा ने मुजेसर थाने में केस दर्ज कराया। संयुक्त आयुक्त की तहरीर में ही आरोपियों के लिए गुंजाइश कर दी गई। इसमें सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की जगह अल्फा कंपोनेंट पूरन कपूर के खाली प्लॉट में अवैध निर्माण कराया जाना बताया गया। आरोप लगाया गया कि अल्फा कपोनेंट कंपनी में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवा कर सील कर दिया गया। जिसे बाद में तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू किया गया। इस आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 और 451 के तहत केस दर्ज किया है। धारा 186 के तहत अधिकतम तीन माह कैद और अधिकतम पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है, इसी तरह धारा 451 के उल्लंघन में अधिकतम दो साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में निगम अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को महज चंद सौ रुपये जुर्माने और संभवता चंद महीनों की कैद के एवज में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी है। यह भी संभव है कि नेताओं के चाटुकार निगम अधिकारी और पुलिसकर्मी केस को पहले ही इतना कमजोर बना दें कि फैसला कब्जाधारियों के पक्ष में ही हो जाए।